



Neutral Citation No. - 2026:AHC:167047

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 21459 वर्ष 2026

श्रीमती लोकेश एवं एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: प्रद्युम्न कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

2- याचीगण की ओर से इस याचिका के माध्यम से, याचीगण एक परमादेश रिट जारी किए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें प्रत्यर्थीगण को याचीगण के पति एवं पत्नी के रूप में शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाए तथा संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे याचीगण को सुरक्षा प्रदान करें।

3- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचीगण वयस्क हैं और उन्होंने अपनी मर्जी एवं सहमति से, बिना किसी दबाव के, एक-दूसरे के साथ विवाह कर लिया है तथा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दोनों पति-पत्नी के रूप में दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। याची संख्या 1 ने पैन कार्ड की प्रतिलिपि एवं याची संख्या 2 ने पैन कार्ड की प्रतिलिपि याचिका के साथ संलग्न की है, जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दोनों याचीगण बालिग हैं। याचिका में दिए गए कथन याचीगण के संयुक्त हलफनामों द्वारा समर्थित हैं। इसके अलावा, यह भी अनुरोध किया गया है कि निजी प्रत्यर्थी और परिवार के अन्य सदस्य याचीगण द्वारा किए गए इस विवाह से नाराज हो गए हैं और उनके द्वारा याचीगण को धमकी दी जा रही है तथा उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिसके कारण याचीगण के जीवन को गंभीर खतरा है।

4- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि याचीगण ने अपने विवाह के पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है, जो याचिका के साथ संलग्न है।

5- याचीगण ने याचिका में कहा है कि वे पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं तथा उन्हें आशंका है कि निजी प्रत्यर्थी अपने परिवार के सम्मान के लिए घोर उपहति कारित अथवा उन्हें खत्म कर सकते हैं। यदि यह न्यायालय उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है।

6- प्रस्तावित आदेश पारित किए जाने के दृष्टिगत निजी प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से इस रिट याचिका को न्यायालय के नियमों के अनुसार इस स्तर पर अंतिम रूप से निस्तारित किया जा रहा है।

7- माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में यह कानून तय किया है कि जहाँ एक लड़का और लड़की बालिग हैं और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक साथ रह रहे हैं, तो उनके माता-पिता

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सहित किसी को भी उनके साथ रहने में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में जियान देवी बनाम द सुपरिन्टेन्डेन्ट, नारी निकेतन, दिल्ली एवं अन्य, (1976) 3 एस.सी.सी. 234; लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2006) 5 एस.सी.सी. 475; तथा भगवान दास बनाम स्टेट (एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली), (2011) 6 एस.सी.सी. 396, जिनका उच्चतम न्यायालय तथा इस न्यायालय द्वारा निरंतर अनुसरण किया गया है, तथा इस न्यायालय के दीपिका एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2013 (9) ए.डी.जे. 534 के निर्णय में भी इसका अनुसरण किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने जियान देवी (उपर्युक्त) के मामले में निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया है:

"याची की जन्मतिथि चाहे जो भी हो, तथ्य यह है कि वर्तमान में उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। चूँकि याची sui juris है, अतः उस व्यक्ति के चयन के संबंध में, जिसके साथ उसे रहना है, उस पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता और न ही उस स्थान के संबंध में, जहाँ उसे रहना चाहिए, कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसे मामले में न्यायालय अथवा याची के रिश्तेदार भी याची की राय या पसंद के स्थान पर अपनी राय या पसंद को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते।"

8- मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत इस न्यायालय का मत है कि याचीगण एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं तथा किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन निर्वाह करने में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचीगण के शांतिपूर्ण जीवन निर्वाह में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, तो याचीगण संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (प्रत्यर्थी संख्या 2) से इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संपर्क करेंगे, और उक्त प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित किया जाता है कि वे याचीगण को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9- निजी प्रत्यर्थी को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यदि याचीगण द्वारा अभिलेख पर लाए गए दस्तावेज मनगढ़ंत या फर्जी हैं, तो वे इस आदेश को वापस लेने के लिए रिकॉल आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

10- चूँकि सीमा (श्रीमती) बनाम अश्वनी कुमार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय (2006) 2 एस.सी.सी. 578 तथा (2008) 1 एस.सी.सी. 180 के अनुसार विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है, इसलिए याचीगण आज से 02 माह के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण कराने का वचन देते हैं।

11- यदि याचीगण उपरोक्त निर्धारित अवधि के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण नहीं करा पाते हैं, तो इस आदेश के तहत दी गई सुरक्षा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

12- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचीगण के कथित विवाह पर कोई निर्णय नहीं दिया है और यह आदेश किसी भी तरह से याचीगण के विवाह की वैधता के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं करता है।

13- उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है। मूल्य के बारे में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

दिनांक: 10 अगस्त, 2026

एस. मिश्रा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”